क्रम-संख्या—124

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेण्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 26 फरवरी, 1982

फाल्गुन 7, 1903 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग—1

संख्या 726/सत्रह—वि0—1—167-81

लखनऊ, 26 फरवरी, 1982

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 पर दिनांक 25 फरवरी, 1982 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1982 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1982

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1982]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा जायगा।

(2) यह 24 अक्तूबर, 1981 से प्रवृत्त समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (3) निकाल दी जायगी ।

धारा 580 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 580 में, उपधारा (1) में, शब्द "जो इस धारा के प्रवर्तित होने के दिनांक से" और शब्द "पांच वर्ष" के बीच शब्द "या इस अधिनियम के अधीन महापालिका के संगठित होने के दिनांक से जो भी बाद में हो," बढ़ा दिए जायेंगे ।

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव ।

No. 726(2)/XVII-V—1-167-81
Dated Lucknow, February 26, 1982

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika (Sanshodhan) Adhiniyam, 1982 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 7 of 1982), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 25, 1982:

THE UTTAR PRADESH NAGAR MAHAPALIKA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1982

[U. P. ACT NO. 7 OF 1982]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-third Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika (Sanshodhan) Adhiniyam, 1982.

(2) It shall be deemed to have come into force on October 24, 1981.

Amendment of section 3 of U. P. Act no. 2 of 1959.

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959 hereinafter referred to as the principal Act, sub-section (3) shall be *omitted*.

Amendment of section 580.

3. In section 580 of the principal Act, in sub-section (1), *between* the words "from the date of coming into operation of this section" and the words "have effect" the words "or from the date of constitution of a Mahapalika under this Act whichever is later" shall be *inserted*.

Repeal and savings.

4. (1) The Uttar Pradesh Nagar Mahapalika (Amendment) Ordinance, 1981 is hereby repealed. U. P. Ordinance 17 of

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी०— 364 सा०(विधा०)—27-2-82—(3990)—1982—700 (मेक०) ।